



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2018 / 9635

दिनांक : 21.12.2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

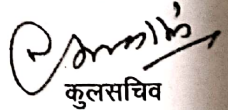
राम कुमार यादव महाविद्यालय,
खैरहा, मोतिगरपुर, सुलतानपुर।

महोदय,

कुलपति महोदय ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आलोक में डॉ० राम सकल पुत्र श्री बालेश्वर उपाध्याय (जन्मतिथि 18.07.1960, शैक्षिक योग्यता पी०एच-डी०, आधार कार्ड नं० 711998659800 पैन नं० CVHPS3671P, मोबाइल नम्बर-9956937273 ई०मेल- dr.ramsakal73@gmail.com के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर (अथवा जन्मतिथि के अनुसार 65 वर्ष तक मान्य होगा) उनके प्राचार्य पद पर अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उक्त अनुमोदन पी०एच-डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्राचार्य के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्र संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/9636

दिनांक 21.12-2018

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राम कुमार यादव महाविद्यालय,
खैरहा, मोतिगरपुर, सुलतानपुर।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 12.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है, कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 03 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं 15 जुलाई, 2015 के अलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नं० /रसीद नं०	आधार नं०	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नं०	ई०मेल	विषय
1.	श्री दिनेश कुमार	श्री राम विचारे	05.07.1982	BTVQD9048P	529711625574	पी०एच-डी०	8756715614	drdineshk sanskrit1 4@gmail.c om	संस्कृत प्रवक्ता
2.	आमा त्रिपाठी	श्री विजयनाथ	05.03.1990	BIOPT1982P	555517714315	नेट	9451774735	abhatrigm ail.com	गृहविज्ञान प्रवक्ता
3.	गुफरान अहमद खान	शबीर अहमद खान	05.07.1979	DUPPK1838E	230844764320	नेट	9919810662	gufran20 @@gmail. com	उर्दू प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2. पत्रावली।

कुलसचिव



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/8667

दिनांक : 23-08-2018

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामकुमार यादव महाविद्यालय,
खैरहा, मोतिगपुर, सुलतानपुर।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत चयनित बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 16-07-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा को गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा एवं इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय/संस्थान प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नम्बर	आधार नम्बर	मोबाइल नं०	ईमेल	शै० योग्यता	पद/विषय
1.	श्री अरविन्द कुमार	श्री विश्वनाथ सिंह	14.06.1988	CXDPK6803M	571961479167	9125032419	arvind.sul@gmail.com	नेट	प्राचीन इतिहास प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र, अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान/महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय
कुलसचिव
21/8/18

कुलसचिव



डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

पत्र संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/9200

दिनांक 12-11-2018

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
राम कुमार यादव महाविद्यालय,
खैरहा, मोतिगरपुर, सुलतानपुर।

विषय:-स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

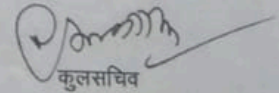
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 11.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोज्य अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नं०/रसीद नं०	आधार नं०	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नं०	ई० मेल	विषय
1.	श्री राजमणि	श्री भीम	04.08.1973	CHXPR2712J	261913700699	नेट	9554892989	rajman228145@gmail.com	राजनीतिशास्त्र प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2. पत्रावली।

कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

फ़ोन - 05278-345997
फ़ैक्स - 05278-348123

दिनांक 29-11-2018

पत्र संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/9381

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

लेता है,

प्रबन्धक,
राम कुमार यादव महाविद्यालय,
खैरहा, मोतिगपुर, सुल्तानपुर।

विषय:-स्वयंसेवा योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय की विधियों में चयनित प्रवक्तृताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई सरलुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विद्यार्थीप्रधान कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्वयंसेवायोजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की सविदा के आधार पर प्रवक्तृता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोजक अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त सम्झा जाएगा।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पैन कार्ड नं०/रसीद नं०	अन्तर नं०	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नं०	ई० मेल	विषय
1.	श्री उमेश कुमार यादव	श्री श्रीलाल यादव	12.06.1990	ATAPY1962G	519871616805	नेट	9506416216	umeshkyadav1990@gmail.com	हिन्दी प्रवक्तृता
2.	श्री राधेश्याम पाल	श्री झगई पाल	20.03.1974	DZGPP5604H	515130033725	नेट	8563033058	palradheshyam174@gmail.com	समाजशास्त्र प्रवक्तृता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्तृता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्तृताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है जो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
- पत्रावली।

कुलसचिव